



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939

No. 151]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

फा. सं.1-100/एस पी पी आर-अधिसूचना/सीटीआर/एफएसएसएआई-2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और 21 के तहत पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, उन सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस दिनांक से जब इस अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेज सकेंगे।

आक्षेप और सुझाव, जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएं पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट) संशोधन विनियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट) विनियम, 2011, के विनियम 2.3, के उप-विनियम 2.3.1,—

(1) खंड (2) की सारणी में

- क) एल्ड्रिन, डाइल्ड्रिन (एल्ड्रिन और डाइल्ड्रिन अकेले या संकुक्त रूप से लागू होती है तथा उन्हें डाइल्ड्रिन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है) से सम्बंधित क्रम संख्या 1 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ख) “क्लोरडेन (अवशेष को सिस प्लस और ट्रान्स क्लोरडेन के रूप में मापा जाएगा)” से सम्बंधित क्रम संख्या 3 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ग) “डी.डी.टी” (डी.डी.टी., डी.डी.डी. और डी.डी.ई. पर अकेले या संयुक्त रूप से लागू होती है) से सम्बंधित क्रम संख्या 4 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- घ) “डी.डी.टी” (एकल) से सम्बंधित क्रम संख्या 5 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ङ) “डी.डी.डी” (एकल) से सम्बंधित क्रम संख्या 6 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- च) “डी.डी.ई” (एकल) से सम्बंधित क्रम संख्या 7 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- छ) “डाईजिनोन” से सम्बंधित क्रम संख्या 8 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ज) “एन्डोसल्फान (अवशिष्टों को एन्डोसल्फान ए और बी और एन्डोसल्फान-सल्फेट के कुल योग के रूप में व्यक्त किया जाएगा)” से सम्बंधित क्रम संख्या 12 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- झ) “एन्डोसल्फान-ए” से सम्बंधित क्रम संख्या 13 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ञ) “एन्डोसल्फान-बी” से सम्बंधित क्रम संख्या 14 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ट) “एन्डोसल्फान-सल्फेट” से सम्बंधित क्रम संख्या 15 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ठ) “फैनिट्रोथियम” से सम्बंधित क्रम संख्या 16 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ड) “हेप्टाक्लोर (हेप्टाक्लोर और उसके अपोक्साईड की सम्मिलित अवशिष्ट को हेप्टाक्लोर के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)” से सम्बंधित क्रम संख्या 17 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- ढ) “गामा (λ) आईसोमर” (जिसे लिडेन के रूप में जाना जाता है) से सम्बंधित क्रम संख्या 21 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- ण) “पैराथोन मैथिल” (पैराथोन मैथिल और इसके ऑक्सीजन एनालॉग की सम्मिलित अवशिष्टों को पैराथोन मैथिल के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)” से सम्बंधित क्रम संख्या 24 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- त) “फॉसफिमिडन अवशेषों” (फॉसफिमिडन और इसके डिसेथल व्युत्पन्नों के योग रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा)” से संबन्धित क्रम संख्या 25 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- थ) “फोरमथायन” (डायनोथ्यूईट तथा इसके ऑक्सीजन अनुरूप के रूप में अवधारित और डाईमैथोएट के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा सिवाय इसके कि सिट्रस फल के मामले में जहां इसे फॉरमोथाईन के रूप में अवधारित किया जाएगा) से सम्बंधित क्रम संख्या 32 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- द) मोनोक्रोटोफॉस से सम्बंधित, क्रम संख्या 33 के सामने स्तम्भ (3) और (4) की निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात्;—

खाद्य (3)	सहन सीमा (4)
“गाजर, शलजम, आलू और चुकंदर	0.05
प्याज और मटर	0.1
अन्य सब्जियां	0.2”

- ध) “एल्डीकार्ब (एल्डीकार्ब उसके सल्फोक्साईड और सल्फोन का योग जो एल्डीकार्ब के रूप में अभिव्यक्त हो)” से सम्बंधित क्रम संख्या 40 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- न) “कार्बोफुरन (कार्बोफुरन और 3 हाईड्रोक्सी कार्बोफुरन का योग जिसे कार्बोफुरन के रूप में व्यक्त किया गया है)” से सम्बंधित क्रम संख्या 45 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- प) “फैन्थियोन (फैन्थियोन और इसके ऑक्सीजन एनालॉग तथा उनके सल्फोक्साईड तथा सल्फोन्स का योग जिन्हें फैन्थियोन के रूप में व्यक्त किया जाता है) से सम्बंधित क्रम संख्या 50 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- फ) क्रम संख्या 52 में स्तम्भ 2 के मद (क) की प्रविष्टियों “फर्बम या जीरम” के उपयोग से परिणामी डाइमिथाइल डाइथाईलकार्बोमेट्स अवशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि राखी जाएगी, अर्थात्—“जीरम के उपयोग के परिणामस्वरूप डाइमिथाइल डाइथाईलकार्बोमेट्स के अवशेष”
- ब) “सिमेजाईन” से सम्बंधित क्रम संख्या 55 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- भ) “कैप्टाफोल” से सम्बंधित क्रम संख्या 60 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- म) “मैथोमाइल” से सम्बंधित क्रम संख्या 71 तथा स्तम्भ (3) और (4) में इससे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(II) खण्ड (2) तथा वहां होने वाली सारणी के पश्चात लेकिन स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

“(3) स्तम्भ 2 में उल्लेखित निम्नलिखित कीटनाशक कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अनुसार प्रतिबंधित हैं:—

क्र. सं.	कीटनाशक का नाम
1.	एल्डीकर्व
2.	एल्ड्रिन, डायएल्ड्रिन
3.	क्लोरडेन
4.	हेप्टाक्लोर
5.	लिनडेन गामा-एचसीएच) गामा (γ) आईसोमर (लिनडेन के रूप में जाना जाता है)
6.	एन्डोसल्फेन
7.	कार्बोफुरन 50 प्रतिशत.एसपी
8.	मेथोमाईल 12.5 प्रतिशत एल तथा मेथोमाईल 24 प्रतिशत सूत्रीकरण
9.	फास्फोमिडियन 85 प्रतिशत एसएल
10.	कैप्टाफोल 85 प्रतिशत। चूर्ण
11.	फर्बेस
12.	फॉरमोथियोन
13.	सिमेजाईन
14.	डाईजिनोन (घर के उपयोग के अलावा कृषि में उपयोग के लिए प्रतिबंधित)
15.	डी.डी.टी (कृषि उपयोग के लिए प्रतिबंधित)
16.	फेनिट्रिथायन (अनुसूचित रेगिस्थानी क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अलावा कृषि उपयोग के लिए प्रतिबंधित)
17.	फेनिथयोन (अनुसूचित रेगिस्थानी क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण, घरेलू उपयोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अलावा कृषि उपयोग के लिए प्रतिबंधित)
18.	मिथाईल पैराथियोन 50 प्रतिशत। ईसी तथा 2 प्रतिशत। डीपी सूत्रीकरण (फलों तथा सब्जियों में उपयोग के लिए प्रतिबंध)
19.	मोनोक्रोटोफॉस (सब्जियों पर उपयोग के लिए प्रतिबंध)

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./13/17]

टिप्पण: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई:

- फा. सं. 1-12/वैज्ञा.पै/(अधिसूचना)एफएसएसएआई/2012, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014;
- फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, दिनांक 04 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-99/1/एसपी (संदूषक)एफएसएसएआई/2009, दिनांक 4 नवम्बर, 2015;

- (iv) फा. सं. 1-99/1/एसपी (संदूषक)एफएसएसएआई/2014 दिनांक 4 नवम्बर, 2015;
- (v) फा. सं. 1-10(6)/मानक/एसपी (मछली तथा मछली उत्पाद)एफएसएसएआई-2013 दिनांक 4 जनवरी, 2016;
- (vi) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, दिनांक 05 जनवरी, 2016;
- (vii) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, दिनांक 3 मई, 2016 तथा
- (viii) फा. सं.1-99/एसपी (संदूषक)/पंजी/एफएसएसएआई/2015, दिनांक 10 अक्टूबर, 2016;

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2017

F. No.1-100/SPPAR-notification-CTR/FSSAI/2016.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with sections 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections and suggestions, which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. **Short title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues)... Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.1,—

(I) in clause (2), in the Table,—

- a) serial number 1 relating to Aldrin, dieldrin (the limits apply to aldrin and dieldrin singly or in any combination and are expressed as dieldrin) and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- b) serial number 3 relating to “Chlordane (residue to be measured as cis plus trans chlordane)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- c) serial number 4 relating to “D.D.T. (The limits apply to D.D.T., D.D.D. and D.D.E. singly or in any combination)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- d) serial number 5 relating to “D.D.T. (singly)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- e) serial number 6 relating to “D.D.D. (singly)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- f) serial number 7 relating to “D.D.E. (singly)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- g) serial number 8 relating to “Diazinon” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;

- h) serial number 12 relating to “Endosulfan (residues are measured and reported as total of endosulfan A and B and endosulfan-sulphate)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- i) serial number 13 relating to “Endosulfan A” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- j) serial number 14 relating to “Endosulfan B” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- k) serial number 15 relating to “Endosulfan Sulphate” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- l) serial number 16 relating to “Fenitrothion” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- m) serial number 17 relating to “Heptachlor (combined residues of heptachlor and its epoxide to be determined and expressed as Heptachlor)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- n) serial number 21 relating to “Gamma (λ) Isomer (Known as Lindane)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- o) serial number 24 relating to “Parathion methyl (combined residues of parathion methyl and its oxygen analogue to be determined and expressed as parathion methyl)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- p) serial number 25 relating to “Phosphamidon residues (expressed as the sum of phosphamidon and its desethyl derivative)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- q) serial number 32 relating to “Formothion (Determined as dinethoate and its oxygen Analogue and expressed as dimethoate except incase of citrus fruits where it is to be determined as formothion)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- r) against serial number 33 relating to “Monocrotophos”, the following entries in columns (3) and (4) shall be omitted,namely;—

Food	Tolerance limit
(3)	(4)
“Carrot, Turnip, Potatoes and Sugar beet	0.05
Onion and Peas	0.1
Other Vegetables	0.2”

- s) serial number 40 relating to “Aldicarb (sum of Aldicarb its sulphoxide and sulphone, expressed as Aldicarb)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- t) serial number 45 relating to “Carbofuran (sum of carbofuran and 3-hydroxy carbofuran expressed as carbofuran)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- u) serial number 50 relating to “Fenthion (sum of fenthion, its oxygen analogue and their sulphoxides and sulphones expressed as fenthion)” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- v) in serial number 52 for the entries in column (2) of item (a) relating to “Dimethyl dithiocarbamates residue resulting from the use of ferbam or ziram” shall be substituted the following etries,namely;- “Dimethyl dithiocarbamates residue resulting from the use of ziram”;
- w) serial number 55 relating to “Simazine” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;
- x) serial number 60 relating to “Captafol” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;

y) serial number 71 relating to “Methomyl” and the entries relating thereto in columns (3) and (4) shall be omitted;

(II) after the clause (2) and the table occurring thereto but before the explanation, the following clause shall be inserted namely,—

“(3) The following insecticides mentioned in column (2) are banned as per Insecticides Act, 1968 (46 of 1968):—

Sl.No.	Name of Insecticide
1.	Aldicarb
2.	Aldrin, dieldrin
3.	Chlordane
4.	Heptachlor
5.	Lindane Gamma-HCH) Gamma (γ) Isomer (Known as Lindane)
6.	Endosulfan
7.	Carbofuran 50 per cent. SP
8.	Methomyl 12.5 per cent. L and Methomyl 24 per cent. formulation
9.	Phosphamidon 85 per cent. SL
10.	Captafol 80 per cent. Powder
11.	Ferbam
12.	Formothion
13.	Simazine
14.	Diazinon (Banned for use in agriculture except for household use)
15.	D.D.T (Withdrawn for use in agriculture)
16.	Fenitrothion (Banned for use in agriculture except for locust control in scheduled dessert area and public health)
17.	Fenthion (Banned in agriculture except for locust control, household and public health)
18.	Methyl Parathion 50 per cent. EC and 2 per cent. DP formulations (Banned for use in fruits and vegetables)
19.	Monocrotophos (Banned for use on vegetable)

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.- III/4/Exty./13/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3rd December, 2014;
- (ii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (iii) F. No. 1-99/1/Sp(Contaminants)/FSSAI/2009, dated 4th November, 2015;
- (iv) F. No. 1-99/1/Sp(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015;
- (v) F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 4th January, 2016
- (vi) F. No. P.15025./264/13-PA/FSSAI, dated 5th January, 2016.
- (vii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 3rd May 2016; and
- (viii) F. No.1-99/SP (Contaminants)/REG/FSSAI/2015 dated the 10th October, 2016.